भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

RBE No. 170/2018

No.E(P&A)II-2018/Bonus-1 **New Delhi, dated 31.10.2018**

The General Managers/CAOs (R),
All Indian Railways & Production Units.
(As per mailing list).

Subject: Grant of ad-hoc bonus for 30 days to the Group 'C' & 'D' RPF/RPSF personnel for the financial year 2017-2018.

*****

The President is pleased to decide that all Group 'C' & 'D' RPF/RPSF personnel, may be granted ad-hoc bonus equivalent to 30 (thirty) days emoluments for the financial year 2017-2018, without any wage eligibility ceiling. The calculation ceiling for payment of ad-hoc Bonus under these orders shall be monthly emoluments of ₹7000/-, as revised w.e.f 01.04.2014 vide Ministry of Finance (Department of Expenditure)'s OM No. 7/4/2014/E.III9A), dt. 29th August, 2016.

2. The benefit will be admissible subject to the following terms and conditions:-

a) Only those Group 'C' & 'D' RPF/RPSF personnel who were in service on 31.3.2018 and have rendered at least six months of continuous service during the year 2017-18 will be eligible for payment under these orders. Pro-rata payment will be admissible to the eligible personnel for period of continuous service during the year from six months to a full year, the eligibility period being taken in terms of number of months of service (rounded off to the nearest number of months).

b) The quantum of Non-PLB (ad-hoc bonus) will be worked out on the basis of average emoluments/calculation ceiling whichever is lower. To calculate Non-PLB (ad-hoc bonus) for one day, the average emoluments in a year will be divided by 30.4 (average number of days in a month). This will thereafter be multiplied by the number of days of bonus granted. To illustrate, taking the calculation ceiling of ₹7000/-(where actual average emoluments exceed ₹7000), Non-PLB (ad-hoc bonus) for thirty days would work out to ₹7000 x 30/30.4 = ₹6907.89 (rounded off to ₹6908/-)

c) All payments under these orders will be rounded off to the nearest rupee.

d) Various points regarding regulation of Ad-hoc/Non-PLB Bonus are given in the Annexure.

e) All the Group 'C' & 'D' RPF/RPSF personnel, regardless of whether they are in uniform or out of uniform and regardless of place of their posting, shall be eligible only for ad-hoc bonus in terms of these orders.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Hindi version is enclosed.

(N. P. Singh)
Jt. Director/Estt.(P&A)
Railway Board

No.E(P&A)II-2018/Bonus-1 **New Delhi, dated 31.10.2018**

Copy to :-

1. The PFAs. All Indian Railways and Production Units.
2. The Commissioner of Railway Safety. 16 Ashok Road, Lucknow.
3. The Commanding Officers, Railway Protection Special Force (with 3 spares):-

(i)	No.1 Bn/Lumding.	(vii)	No. 7 Bn/.Secunderabad.
(ii)	No.2 Bn/Gorakhpur	(viii)	No. 8 Bn/Chittaranjan.
(iii)	No.3 Bn/Lucknow.	(ix)	No.9 Bn/Jagadhri.
(iv)	No.4 Bn/New Jalpaiguri.	(x)	No.10Bn/Dhanbad.
(v)	No.5 Bn/Tiruchchirapalli.	(xi)	No.11 Bn/Gehrara.
(vi)	No. 6 Bn/Dayabasti. Delhi.	(xii)	No.12 Bn/Thakurli.

(N. P. Singh)
Jt. Director/Estt.(P&A)
Railway Board.

No.E(P&A)II-2018/Bonus-1 **New Delhi, dated 31.10.2018**

Copy (with 40 spares) forwarded to the Deputy Comptroller & Auditor General of India, Room No.222. Rail Bhawan. New Delhi.

For Financial Commissioner/Railways

No.E(P&A)II-2018/Bonus-1 **New Delhi, dated 31.10.2018**

Copy to:-

(i) The General Secretary. AIRF (with 35 spares).
(ii) The General Secretary. NFIR (with 35 spares).
(iii) The Members of the National Council. Departmental Council and Secretary/ Staff side, National Council. 13-C Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares).
(iv) The Secretary General. FROA.
(v) The Secretary General. IRPOF.
(vi) The Secretary General. All India RPF Association.
(vii) The Secretary. Indian Railways Class II Officers' Association.
(viii) The Secretary. RBSS. Group A Officers' Association, Room No.402, Rail Bhawan, New Delhi.
(ix) The Secretary. Railway Board Group 'B' Officers' Association.
(x) The Secretary. Railway Board Ministerial Staff Association.
(xi) The General Secretary. Non-Ministerial Staff Association, Rail Bhawan.
(xii) The General Secretary. Railway Board Secretariat Stenographers Services Association, Rail Bhawan.
(xiii) The Secretary. Railway Board Group 'D' Employees Association.
(xiv) The General Secretary. All India SC/ST Railway Employees Association, Room No.8, Rail Bhawan, New Delhi.

(xv) All India O.B.C. Railway Employee's Association.

(xvi) The General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association, Room No. 490 A/16, Gurudwara Road, Gurgaon.

31/7/18

For Secretary/Railway Board.

Copy to : PSO/Sr. PPSs/PPSs/PSs/PAs to :-
MR, MoS(S), MoS(G), CRB, FC, M(Tr.), ME, M(RS), MS, MT, DG/RHS, DG/RPF, DG(S&T), DG(P), DG(S), Secy/RB, AM(B), AM(CE), AM(C), AM(C&IS), AM(Elec.), AM(F), AM(Plg.), AM(Projects), AM(Sig), AM(MS), AM(Mech.), AM(PU), AM(RS), AM(T&C), AM(Telecom), AM(T), AM(Vig.), AM(Works), AM(Staff), Adv(AR), Adv(F), Adv(IR), Adv(Safety), Adv.(C), ED(Plg.), ED(A), EDF(BC), EDCE(B&S), EDCE(G), EDCE(Plg.), ED(Chg.), ED(CC), ED(C&IS), ED(E&R), EDEE(Dev.), EDEE(G), EDEE(RS), EDE, EDE(RRB), EDE(N), EDE(Res.), EDF(C), EDF(E), EDF(S), EDF(B), EDF(RM), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), ED(LM), ED(MIS), EDE(GC), EDT(MPP), EDME(Chg.), EDME(FR), EDME(Tr.), EDME(TOT), EDME(Dev.), EDME(W), EDPC-I & II, ED(Plg.), ED(PP), ED (Proj.), ED (Proj.)DMRC, ED(RE), EDRE(S&T), EDRE(S), ED(Safety), ED(Sig.), ED(S&E),EDRS(C), EDRS(G), EDRS(P), EDRS(S), EDRS(W), ED(TD), EDTrack(M), EDTrack(MC), EDTrack(P), ED(T&C), ED(CP), ED(PM), ED(PG), EDT(R), EDTC(FM), EDTT(M), EDTT(FM), EDTT(S), EDV(A), EDV(E), EDV(S), EDV(T), ED(W), ED/ERP, IG/RPF(HQs), IG/RS, JS, JS(D), JS(E), JS(G), JS(P), DPC-I, DPC-II, DE(N), DF(CCA), DF(A/Cs), DE(G), DE(N), DPR, JDE(G), JDE(D&A), JDE(L), JDE(LL), JDPC-II, JDE(W), JDF(B), JDF(E),JDE(N), JDE(Res), JD(MPP), JDE(GP), DS(G), DS(Parl.), US(A), PAO, DDE(P&A)II, DDE(D&A), JDE(RRB), DDE(Sports), DDE(N), DDE(LR)I, DDF(E)I, II, & III, DD(H), DDE(R)II (with 2 spares), DDE(W), DDPC-V, VI & VII, DDE(Trg.).

Branches : Accounts.-III(with 10 spares), Budget, Budget(Com)I, Cash-I, Cash-II, Cash-III, Chasing, E(P&A)I, ERB-I, ERB-II, ERB-III, ERB-IV, ERB-V, ERB(D), E(LR)I, E(LR)II, E(LR)III, E(NG)I, E(NG)II, E(RRB), E(Rep)I, E(Rep)II, E(Rep)III, E(MPP), E(Welfare), E(G), E(Coop), E(LL), E(Sports), E(ML), E(SCT), E(D&A), E(GC), E(GR)I, E(GR)II, E(O)I, E(O)II, E(O)III, F(E)I, F(E)II, F(E)III, F(E)Spl, G(Pass), G(Acc), Issue(D), M(L), Parl., PC-III, IV, V, VI & VII, Project Cell, PR, PG, Sec(E) & Sec(ABE).

+++++

No. E(P&A)II-2018/Bonus-1, dated 31.10.2018

Annexure

	Point		Clarification
1.	Whether the employees in the following categories are eligible for the benefit of ad-hoc bonus for an accounting year.		Subject to completion of minimum six months continuous service and being in service as on 31st March, 2018.
(a)	Employees appointed on purely temporary ad-hoc basis.	(a)	Yes, if there is no break in service.
(b)	Employees who resigned, retired from service or expired before 31st March, 2018.	(b)	As a special case only those persons who superannuated or retired on invalidation on medical grounds or died before 31st March, 2018 but after completing at least six months regular service during the year will be eligible for the ad-hoc bonus on pro-rata basis in terms of nearest number of months of service.
(c)	Employees on deputation/foreign service terms to state governments, U.T. Governments, Public Sector Undertakings, etc. on 31st March, 2018.	(c)	Such employees are not eligible for the ad-hoc bonus to be paid by the lending departments. In such cases the liability to pay ad-hoc bonus lies with the borrowing organization depending upon the ad-hoc bonus/PLB/ex-gratia/incentive payment scheme, if any, in force in the borrowing organization.
(d)	Employees who reverted during accounting year from deputation on foreign service with the organizations indicated in 'C' above.	(d)	The total amount of bonus/ex-gratia received for the accounting year from foreign employer and the ad-hoc bonus, if any, due from a Central Government office for the period after reversion will be restricted to the amount due under ad-hoc bonus as per these orders.
(e)	Employees from state Government/U.T. Admn./Public Sector Undertakings on reverse deputation with the Central Government.	(e)	Yes, they are eligible for ad-hoc bonus to be paid by the borrowing departments in terms of these orders provided no additional incentive as part of terms of deputation, other than Deputation Allowance, is paid and the lending authorities have no objection.
(f)	Superannuated employees who were re-employed.	(f)	Re-employment being fresh employment, eligibility period is to be worked out separately for re-employment period, the total amount admissible, if any, for prior to superannuation and that for re-employment period being restricted to the maximum admissible under ad-hoc bonus under these orders.
(g)	Employees on half-pay leave/E.O.L./leave not due/study leave at any time during the accounting year.	(g)	Except in the case of leave without pay the period of leave of other kinds will be included for the purpose of working out eligibility period. The period of E.O.L./dies non will be excluded from eligibility period but will not count as break in service for the purpose of ad-hoc bonus.
(h)	Contract employees	(h)	Yes, if the employees are eligible for benefits like dearness allowance and interim relief. Categories not eligible for these benefits would be considered at par with casual labour in terms of ad-hoc bonus orders.

(i) Employees under suspension at any time during the accounting year.	(i) Subsistence allowance given to an employee under suspension for a period in the accounting year cannot be treated as emoluments such an employee becomes eligible for the benefit of ad-hoc bonus if and when reinstated with benefit of emoluments for the period of suspension, and in other cases such period will be excluded for the purpose of eligibility as in the case of employee on leave without pay.
(j) Employees transferred from one Ministry/department/Office covered by ad-hoc bonus orders to another within the Government of India or a union Territory Government covered by ad-hoc bonus orders and vice versa.	(j) Employees who are transferred from any of the Ministry/Department/Office covered by ad-hoc bonus orders to another such office without break in service will be eligible on the basis of the combined period of service in the different organizations. Those who are nominated on the basis of a limited departmental or open competitive exam from one organization to a different organisation will also be eligible for the ad-hoc bonus. The payment will be made only by the organization where he was employed as on 31st March, 2018 and no adjustments with the previous employer will be necessary.
(k) Employees who are transferred from a Government Department/organization covered by ad-hoc bonus orders to a government Department/Organization covered by productivity Linked bonus scheme or vice versa.	(k) They may be paid what would have been paid on the basis of emoluments in ad-hoc bonus covered department for the entire year less the amount due as productivity-linked bonus. The amount so calculated may be paid by department where he was working on 31st March 2018 and/or at the time of payment.
(l) Part time employees engaged on nominal fixed payment.	(l) Not eligible

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

आर.बी.ई.सं.170/2018

सं. ई(पीएंडए)।-2018/बोनस-1

नई दिल्ली, दि. 31.10.2018

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची । और ।। के अनुसार)

विषय:- रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के समूह 'ग' तथा 'घ' कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 30 दिनों के तदर्थ बोनस की मजूरी.

*****

राष्ट्रपति जी को यह विनिश्चय करते हुए हर्ष है कि रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के समूह 'ग' तथा 'घ' के सभी कर्मचारियों को, पात्रता के लिए मजूरी की बिना किसी अधिकतम सीमा के, वर्ष 2017-18 के लिए 30 (तीस) दिनों की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस प्रदान किया जाए। वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के का.ज्ञा.सं. 7/4/2014ई।।।(ए) दिनांक 29 अगस्त 2016 के अनुसार, 01.04.2014 से यथा संशोधित इन आदेशों के अन्तर्गत तदर्थ बोनस के भुगतान के लिए परिकलन सीमा 7000/- रु. की मासिक परिलब्धि होगी।

2. यह लाभ निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा :-

(क) रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के समूह "ग" तथा "घ" के सभी कर्मचारियों के केवल वे ही कर्मचारी इन आदेशों के अधीन अदायगी के पात्र होंगे जो 31.03.2018 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2017-18 के दौरान कम से कम छः महीने लगातार सेवा पूरी की हो । वर्ष के दौरान छः महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक अदायगी स्वीकार्य होगी, पात्रता की अवधि की गणना सेवा के महीनों (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित) की संख्या में की जाएगी।

(ख) उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की मात्रा औसत परिलब्धियों/ परिकलन सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर आधारित होगी । एक दिन के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना करने के लिए एक वर्ष की औसत परिलब्धियों को 30.4 (एक महीने के औसत दिनों की संख्या) से भाग दिया जाएगा । उसके बाद इसे बोनस दिए जाने वाले दिनों की संख्या से गुणा कर दिया जाएगा । उदाहरणार्थ, परिकलन सीमा ₹ 7000/- मानते हुए (जहां वास्तविक औसतन परिलब्धियां ₹ 7000/-से अधिक हैं), 30 दिनों के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) ₹ 7000/- X 30/30.4= ₹ 6907.89/- (₹ 6908/-में पूर्णांकित) होगा ।

(ग) इन आदेशों के अंतर्गत सभी अदायगियां निकटतम रूपये में पूर्णांकित की जाएंगी।

(घ) तदर्थ बोनस / गैर-पीएलबी बोनस के विनियमन के संबंध में विभिन्न बिंदु संलग्नक में दिए गए हैं।

(ङ) रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के समूह "ग" तथा "घ" के सभी कर्मचारी इस बात का ख्याल किए बिना कि वे वर्दी में हैं अथवा बिना वर्दी हैं और तैनाती के स्थान का ख्याल किए बिना इन आदेशों के अनुसार केवल तदर्थ बोनस के लिए पात्र होंगे ।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

(एन.पी.सिंह)
सं. निदेशक/स्था. (वे.एवं भ.)
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पीएंडए)।।-2018/बोनस-।   नई दिल्ली,दि. 31.10.2018

प्रतिलिपि: 1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां ।

2. रेल संरक्षा आयुक्त, 16 अशोक रोड, लखनऊ ।

3. कमांडिग अधिकारी, रे.सु.वि.बल (3 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।

(i)	नं. 1 बटालियन, लमडिंग	(vii)	नं. 7 बटालियन,सिकंदराबाद
(ii)	नं. 2 बटालियन, गोरखपुर	(viii)	नं. 8 बटालियन, चितरंजन
(iii)	नं. 3 बटालियन, लखनऊ	(ix)	नं. 9 बटालियन, जगाधरी
(iv)	नं. 4 बटालियन, न्यूजलपाइगुडी	(x)	नं. 10 बटालियन,धनबाद
(v)	नं; 5 बटालियन, तिरूचिरापल्लि	(xi)	नं. 11 बटालियन, गरहारा
(vi)	नं. 6 बटालियन, दयाबस्ती, दिल्ली	(xii)	नं. 12 बटालियन, ठाकुरली

(एन.पी.सिंह)
सं. निदेशक/स्था. (वे.एवं भ.)
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पीएंडए)।।-2018/बोनस-।   नई दिल्ली,दि. 31.10.2018

प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कमरा नं.222, रेल भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. ई(पीएंडए)।।-2018/बोनस-।   नई दिल्ली,दि. 31.10.2018

प्रतिलिपि प्रेक्षित:-

(i) जनरल सेक्रेटरी/एआईआरएफ (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

(ii) जनरल सेक्रेटरी/एनएफआईआर (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

(iii) राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सभी सदस्य और राष्ट्रीय परिषद के सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

(iv) सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ।

(v) सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ।

(vi) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन।

(vii) सेक्रेटरी, इंडियन रेलवे क्लास-।। ऑफिसर्स एसोसिएशन।

(viii) सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 402, रेल भवन, नई दिल्ली।

(ix) सचिव, रेलवे बोर्ड, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन।

(x) सचिव, रेलवे बोर्ड लिपिकवर्गीय कर्मचारी वर्ग एसोसिएशन।

(xi) जनरल सेक्रेटरी, गैर-लिपिकवर्गीय कर्मचारी वर्ग एसोसिएशन, रेल भवन।

(xii) जनरल सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा एसोसिएशन, रेल भवन।

(xiii) सचिव, रेलवे बोर्ड, ग्रुप 'डी' इम्पलाइज़ एसोसिएशन।

(xiv) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, कमरा नं. 8, रेल भवन, नई दिल्ली।

(xv) ऑल इंडिया ओ.बी.सी. रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन।

(xvi) जनरल सेक्रेटरी, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, कमरा नं. 490 ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुड़गाँव।

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

+++++

स. ई (पी एंड ए)II-2018/बोनस -1, दिनांक 31.10.2018

अनुलग्नक

मद	स्पष्टीकरण
1.क्या निम्नलिखित कोटि के कर्मचारी किसी लेखा-वर्ष के लिए तदर्थ बोनस पाने के लिए पात्र हैं।	1. न्यूनतम छः माह की लगातार सेवा के पूरी होने और 31 मार्च 2017 को सेवा में होने की दशा में।
(क) पूरी तरह से अस्थायी तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारी।	(क) जी हाँ, यदि सेवा में कोई ब्रेक न हो।
(ख) वे कर्मचारी जिन्होंने 31 मार्च, 2017 से पहले त्यागपत्र दे दिया हो, सेवानिवृत्त हो चुके हो अथवा जिनकी मृत्यु हो चुकी हो।	(ख) एक विशेष मामले के रूप में केवल वे व्यक्ति जिन्होंने 31 मार्च 2017 से पहले अधिवर्षिता प्राप्त कर ली हो अथवा चिकित्सीय आधार पर अशक्तता के कारण सेवानिवृत्त हुए हों परंतु उस वर्ष में कम से कम छः माह की लगातार सेवा पूरी कर ली हो, वे सेवा के निकटतम महीनों की संख्या के अनुपात में तदर्थ बोनस पाने के पात्र होंगे।
(ग) 31 मार्च 2017 को राज्य सरकारों, संघशासित सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्त/इतर सेवा की शर्तों पर गए कर्मचारी।	(ग) ऐसे कर्मचारी परदाता विभाग द्वारा तदर्थ बोनस का भुगतान किए जाने के लिए पात्र नहीं हैं। ऐसे मामलों में तदर्थ बोनस देने की ज़िम्मेदारी आदाता संगठन के तदर्थ बोनस/पीएलबी/अनुग्रह/प्रोत्साहन भुगतान योजना, यदि कोई हो, के अनुसार आदाता संगठन की है।
(घ) वे कर्मचारी जो लेखा वर्ष में उपर्युक्त 'ग' में इंगित संगठनों में इतर सेवा में प्रतिनियुक्ति से वापस आए हों।	(घ) रिवर्सन के पश्चात, लेखा वर्ष के लिए इतर सेवा नियोक्ता से प्राप्त बोनस/अनुग्रह की कुल राशि और उस अवधि के लिए केंद्रीय सरकारी कार्यालय से देय तदर्थ बोनस, यदि कोई हो, वह इन आदेशों के अनुसार तदर्थ बोनस के अंतर्गत देय राशि तक ही सीमित रहेगी।
(ङ) राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेश प्रशासन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वे कर्मचारी जो केंद्र सरकार में रिवर्स प्रतिनियुक्ति पर हों।	(ङ) जी हाँ, वे इन आदेशों के संदर्भ में आदाता विभाग द्वारा देय तदर्थ बोनस के पात्र हैं परंतु शर्त यह है कि प्रतिनियुक्ति भत्ता के अलावा प्रतिनियुक्ति के भाग के रूप में कोई अतिरिक्त इंसेंटिव न दिया जाए और परदाता प्राधिकारियों को कोई आपत्ति न हो।
(च) अधिवर्षिता प्राप्त वे कर्मचारी जिन्हें पुनर्नियोजित किया गया हो।	(च) पुनर्नियोजन नई नियुक्ति होने के कारण, पुनर्नियोजन अवधि के लिए पात्रता अवधि का अलग से आकलन किया जाना चाहिए और किसी पुनर्नियोजित अवधि के लिए कुल अनुमेय राशि को इन आदेशों के अंतर्गत अधिकतम अनुमेय सीमा तक सीमित किया जाएगा।

(छ)लेखा वर्ष के दौरान किसी भी समय अर्ध वेतन छुट्टी/ई.ओ.एल/अनर्जित छुट्टी/अध्ययन अवकाश।	(छ) केवल बिना वेतन की छुट्टी के मामले के अलावा अन्य प्रकार की छुट्टियों की अवधि को पात्रता की अवधि के आकलन के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा। तदर्थ बोनस के लिए ई.ओ.एल./अकार्य दिवस को पात्रता की अवधि में शामिल नहीं किया जाएगा परन्तु इनकी गणना सेवा में ब्रेक के रूप में नहीं की जाएगी।
(ज) कांट्रैक्ट कर्मचारी	(ज) जी हाँ, यदि कर्मचारी महंगाई भत्ता और अन्तरिम राहत जैसी सुविधाओं के पात्र हैं, तो वे कोटियाँ जो इन सुविधाओं के पात्र नहीं हैं, उन्हें तदर्थ बोनस के आदेशों के अनुसार अस्थाई श्रमिक के समतुल्य माना जाएगा।
(झ) लेखा वर्ष के दौरान किसी भी समय निलंबित कर्मचारी	(झ) लेखा वर्ष के दौरान किसी निलंबित कर्मचारी को दिए गए निर्वाह भत्ते को परिलब्धि के रूप में नहीं माना जा सकता है। यदि वह कर्मचारी निलंबन की अवधि की परिलब्धियों के लाभ के साथ पुन: बहाल किया जाता है तो वह तदर्थ बोनस का पात्र होगा और अन्य मामलों में पात्रता के प्रयोजन से इस प्रकार की अवधि को उसी प्रकार कम किया जाएगा जिस प्रकार अवैतनिक अवकाश वाले कर्मचारियों के मामले में किया जाता है।
(ञ) तदर्थ बोनस आदेश के अंतर्गत आने वाले एक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय से तदर्थ बोनस के अंतर्गत आने वाले दूसरे भारत सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश में एवं इसके विपरीत स्थानांतरित कर्मचारी।	(ञ) वे कर्मचारी जिनका तदर्थ बोनस आदेश के अंतर्गत आने वाले किसी भी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय से बिना सर्विस ब्रेक के इस प्रकार के दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण होता है तो वह विभिन्न संगठनों में सेवा की पूरी अवधि के आधार पर बोनस का पात्र होगा। जो कर्मचारी एक संगठन से सीमित विभागीय अथवा खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नामित हो, वह भी तदर्थ बोनस का पात्र होगा। उसे उसी संगठन द्वारा भुगतान किया जाएगा जहां वह 31 मार्च, 2017 को तैनात था और पिछले नियोक्ता के साथ कोई समायोजन आवश्यक नहीं होगा।
(ट) वे कर्मचारी जिनका तदर्थ बोनस आदेशों के अंतर्गत आने वाले किसी सरकारी विभाग/संगठन से उत्पादकता संबद्ध बोनस योजना और इसके विपरीत स्थानांतरण हो।	(ट) उन्हें संपूर्ण वर्ष तदर्थ बोनस के अंतर्गत आने वाले विभाग में प्राप्त परिलब्धियों से उत्पादकता संबद्ध बोनस के रूप में बकाया राशि को कम करके बोनस का भुगतान किया जाए। इस प्रकार गणना की गई राशि का भुगतान उस विभाग द्वारा किया जाएगा जहां वह 31 मार्च, 2017 को या भुगतान के समय कार्यरत था।
(ठ) मामूली निर्धारित भुगतान पर नियुक्त अंशकालिक कर्मचारी ।	(ठ) पात्र नहीं ।

******